



# CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

## सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

No. महाप्रबंधक(अधि-स्था)/प्रोन्नति/पर्यावरण./ई5-ई-6/2025/ 3591-610 दिनांक: 01/03/2025

### कार्यालय आदेश

सी.आई.एल., कोलकाता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(CC)Prom\_E5-E6\_Excvt/2024/B-181 दिनांक:-26/02/2025 के आलोक में श्री विनोद कुमार तिवारी (90282641) प्रबन्धक (उत्खन)/ ई5 ग्रेड सीआरएस बरकाकाना की प्रोन्नति वरीय-प्रबन्धक (उत्खन)/ई6 ग्रेड (वेतनमान रु. 90,000-2,40,000) के पद पर तत्काल प्रभाव से की जाती है एवं उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पर योगदान देने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

संबन्धित अधिकारी की प्रोन्नति उसी तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से वे उच्च पद पर पदभार ग्रहण करेंगे।

प्रोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। वे आगे के कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे।

संबन्धित अधिकारी को आदेश जारी करने की तारीख से साठ(60) दिनों के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में PRIDE/Goal Setting भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति पश्चात उपरांत किया जाता है।

निधि खलरवी  
13/25  
उप-प्रबन्धक (का.अधि.-स्था°)

### वितरण ई ऑफिस द्वारा :

1. निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना), सीसीएल, राँची।
2. सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
3. महाप्रबंधक(का.अधि-स्था)सीआईएल कोलकाता।
4. महाप्रबंधक (उत्खन) / (सतर्कता) / (ईई) / (एचआरडी) / (प्रणाली) / (वित्त), सीसीएल, राँची।
5. महाप्रबंधक:- सीआरएस बरकाकाना क्षेत्र
6. क्षेत्र वित्त प्रबंधक/अमला अधिकारी:- सीआरएस बरकाकाना क्षेत्र
7. मुख्य प्रबंधक/ प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर) / (स्था.), सीसीएल, राँची।
8. प्रबंधक/ उप-प्रबन्धक (कार्मिक-ईई), सीसीएल, राँची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
9. उप प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, राँची।
10. सहायक प्रबंधक (कार्मिक-ईई), सीसीएल, राँची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
11. संबन्धित अधिकारी।
12. व्यक्तिगत संचिका।